इंतजार | पेट्रोल की ऊंची कीमतों के बीच भी नहीं थमी भीड़, घंटों इंतजार करते रहे वाहन चालक

पेट्रोल महंगा, फिर भी लग रही लंबी कतार

नवभारत , जबलपुर । शहर में एक ओर पेट्रोल की कीमत रू.114 प्रति लीटर के आसपास बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर शहर के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग ईंधन भरवाने पहुंचे, जिससे कई पंपों पर अव्यवस्था और ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया।

महंगे ईंधन के बावजूद आम नागरिक अपनी दैनिक जरूरतों के चलते घंटों इंतजार करने को मजबूर नजर आए। नवभारत की टीम मंगलवार को मौके पर पहुंचकर देखा कि बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कई वाहन चालक काफी देर तक लाइन में खड़े रहे, जबकि कुछ लोगों ने भीड़ और अव्यवस्था को लेकर नाराजगी भी जताई।

घंटों इंतजार करने को मजबूर वाहन चालक

दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को अपनी बारी के लिए काफी देर तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। कई लोगों ने अव्यवस्थित व्यवस्था और धीमी गति से हो रही ईंधन आपूर्ति पर नाराजगी जताई।

अतिरिक्त खर्च लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा रहा

पेट्रोल की कीमत 114 रू. प्रति लीटर के आसपास होने के बावजूद शहर के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की भीड़ कम होती नजर नहीं आ रही है। रोजमर्रा की जरूरतों के चलते दोपहिया और चारपहिया वाहन चालक लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन पर होने वाला अतिरिक्त खर्च लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा रहा है, फिर भी निजी वाहनों पर निर्भरता कम नहीं हो रही है।

आदेश की नाफरमानी पर कोर्ट सख्त, जमानती वारंट जारी

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने आदेशों की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारी के खिलाफ 10 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने वारंट तामील कराकर संबंधित अधिकारी की उपस्थिति छह जुलाई 2026 को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई भी उसी दिन निर्धारित की गई है।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पूर्व में दिए गए आदेशों के बावजूद न तो याचिकाकर्ताओं को वेतन भुगतान किया गया और न ही जवाबदेही तय करने के लिए तलब किए गए अधिकारी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। कोर्ट के समक्ष शिवदीन धुर्वे ग्राम सभा मोबलाइजरए निवासी मोहदा जिला बैतूल सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता वृंदावन तिवारी ने पक्ष रखते हुए कहा कि 18 अप्रैल 2026 को पारित न्यायालयीन आदेश का अब तक पालन नहीं किया गया है।

2 .82 करोड़ की काली कमाई उजागर

प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोलेराव के घर ईओडब्ल्यू का छापा

नवभारत, जबलपुर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार तड़के नगर निगम के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोलेराव पिता संन्यासी बारौआ के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सुबह से देर शाम तक चली सर्चिंग की कार्रवाई में अब तक 2 करोड़ 82 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाब संपत्ति का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के अनुसार, आरोपी अधिकारी के ठिकानों पर दस्तावेजों की स्क्रूटनी और लॉकरों की जांच अभी भी जारी है। पूरी छानबीन और दस्तावेजों के मिलान के बाद आय से अधिक संपत्ति का यह आंकड़ा कई गुना और बढ़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि आगामी पूछताछ और जांच में कई अन्य बेनामी संपत्तियों और बैंक खातों का भी खुलासा हो सकता है, जिससे काली कमाई का यह आंकड़ा और ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है।

तीन टीमों ने दी एक साथ दबिश

जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को नगर निगम के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी पोलेराव पिता संन्यासी निवासी आदि प्लाजा के पीछे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली। सुबह ठीक 6 बजे तीन अलग-अलग टीमों ने पोलेराव के जेडीए स्कीम-11 स्थित आलीशान निवास और कार्यालय पर एक साथ धावा बोल दिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से आरोपी अधिकारी के परिवार में हड़कंप मच गया।

देर रात चली सर्चिंग बढ़ेगा आंकड़ा

आरोपी के आवास से मिले दस्तावेज, आभूषण, बैंक खातों, नगदी राशि आदि से संबंधित दस्तावेजों की जांच देर रात तक जारी रही। कार्यवाही के दौरान और अधिक संपत्ति मिलने की संभवना है। अभी तक ईओडब्ल्यू को मिली जानकारी, दस्तावेज, विवरण के आधार पर बहुमूल्य संपत्ति होने की अनुमान है।

आलीशान जिंदगी और काली कमाई का ऐसा है ब्यौरा

तलाशी के दौरान ईओडब्ल्यू की टीम को आरोपी के घर से 1,19,18,000 के संदिग्ध नकद लेनदेन के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 45 लाख का एक फ्लैट और 65 लाख के कीमती भूखंड के कागजात मिले हैं। घर से 22.50 लाख कीमत का 150 ग्राम सोना और 3 लाख मूल्य की चांदी मिली है। इसके अलावा, बैंक लॉकर्स में 450 ग्राम अतिरिक्त सोना होने की पुख्ता आशंका है। परिसर से एक लग्जरी फोर-व्हीलर कीमत 8 .50 लाख और तीन टू-व्हीलर कीमत 6 .20 लाख बरामद हुए हैं। पोलेराव और उनके परिजनों के नाम पर 6 बैंक खाते मिले हैं, जिनमें 10 लाख जमा हैं। साथ ही 10 लाख की भारी-भरकम बीमा पॉलिसियों में निवेश के कागजात मिले हैं। घर के अंदर 16 लाख से अधिक मूल्य के महंगे और लग्जरी सामान की इन्वेंट्री तैयार की गई है।

आवासीय पट्टे की भूमि पर तान दिया कमर्शियल काम्पलैक्स

जबलपुर। गोरखपुर के रामपुर स्थित आवासीय पट्टे की भूमि पर कमर्शिलय काम्पलैक्स का निर्माण किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दायर मामले में आरोप है कि पट्टा निरस्त होने के बाद अनावेदक ने कब्जा कर भूमि विस्तार करते हुए आर्थिक लाभ उठाने अवैध कमर्शियल निर्माण किया है।

इतना ही नहीं मामले में सरकारी रिकार्ड गायब होने का भी आरोप है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है। साथ ही शासकीय अधिवक्ता को स्ट्रक्शन लेकर पक्ष रखने के निर्देश दिये है।

यह जनहित का मामला रामपुर निवासी गनेश धनगढ़ की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने पक्ष रखा। आवेदक की ओर से कहा गया कि रामपुर स्थित जमीन का पूर्व में अनावेदक मोहण् मुशरक अली को आवास के लिये छह सौ वर्ग फिट जमीन का पट्टा आवंटित हुआ था। जिसका आवेदक ने व्यवसायिक उपयोग करते हुए चार दुकानों का निर्माण कर दिया। जिसकी शिकायत पर वर्ष 2001 में पट्टा निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद अनावेदक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। न्यायालय ने सुनवाई का अवसर देते हुए गुण.दोषों के आधार पर मामले का निराकरण करने के निर्देश दिये थे। आरोप है कि इसके बावजूद अनावेदक ने उक्त प्लाट के आसपास की भूमि पर कब्जा करते हुए करीब सैकड़ो वर्ग फिट जमीन कब्जा ली और उस पर पूरा कमर्शियल काम्पलैक्स का निर्माण कर दुकानों को किराये पर दे दिया। जिसकी शिकायत होने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इतना ही नहीं आरटीआई के तहत सरकारी रिकार्ड चाहा गया तो रिकार्ड उपलब्ध न होने की जानकारी दी गईए जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। मामले में सचिव राजस्व विभागए कलेक्टर जबलपुर, तहसीलदार व अनावेदक मोह. मुशरक अली को पक्षकार बनाया गया है।

आंगनबाड़ी मानदेय की लड़ाई को लेकर पीआईएल का रास्ता बंद

जबलपुर। प्रदेश की लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय, सेवा शर्तों तथा कर्मचारी दर्जे से जुड़ी बहुचर्चित लड़ाई को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी संकेत दिया है। अदालत ने साफ कर दिया कि सेवा संबंधी अधिकारों और आर्थिक दावों की लड़ाई जनहित याचिका के मंच से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिये उन्हें उचित मंच पर चुनौती देनी होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने सीधी जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन की महासचिव विभा पाण्डेय द्वारा दायर याचिका का निराकरण करते हुए कहा कि ऐसे विवाद व्यक्तिगत अथवा सेवा अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इन पर पीआईएल के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। हालांकि न्यायालय ने याचिकाकर्ता पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता खुला रखा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी मांगों को लेकर सक्षम न्यायालयए सेवा मंच अथवा अन्य उपयुक्त कानूनी प्राधिकरण के समक्ष स्वतंत्र रूप से चुनौती प्रस्तुत कर सकती हैं।

एमपी स्टेट बार चुनाव की मतगणना आरंभ

जबलपुर। राज्य के वकीलों की नियामक संस्था एमपी स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की मतगणना का मंगलवार से शुभारंभ हो गया। यह प्रक्रिया लंबी होती है। लिहाजा, इसके एक माह से अधिक समय तक सतत चलने की संभावना है। इसके बाद ही परिणाम सामने आएंगे।

निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एसके पालो व वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने बताया कि मतगणना को पूरी तरह पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए हाईटेक व्यवस्था की गई है। सीसीटीवी कैमरे हर मतपत्र पर नजर रखेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए मंगलवार 12 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया गया था।

प्रदेशभर में करीब 87 हजार अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। जबलपुर में 9819 अधिवक्ता मतदान के लिए पंजीकृत थे, जिनके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और जिला अदालत परिसर में मतदान केंद्र बनाए गए थे।

भीषण ट्रक हादसे की अब इंदौर बेंच में होगी सुनवाई

जबलपुर। इंदौर में सितंबर माह में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले की सुनवाई अब वहीं होगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मंगलवार को हाईकोर्ट रजिस्ट्री को उक्त मामला इंदौर बेंच स्थानातंरित करने के निर्देश दिये है, ताकि वहां संबंधित मामले के साथ संयुक्त रूप से सुनवाई हो सके।

उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर 2025 की शाम एयरपोर्ट इलाके की सड़कों पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने करीब एक किलोमीटर तक कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इंदौर में नो एंट्री में ट्रक के कोहराम मचाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने की व्यवस्था दी थी। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में इंदौर के पुलिस आयुक्त वीसी के जरिए हाजिर हुए थे। उन्होंने अवगत कराया था कि इंदौर में उक्त घटना के बाद कोई भीषण सड़क दुर्घटना घटित नहीं हुई है। सड़क दुर्घटनाएं रोकने सुधारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। जिस पर न्यायालय ने इस जानकारी को नाकाफी पाते हुए इंदौर में सड़क हादसों को रोकने के संबंध में समग्र सुधारात्मक प्रयासों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे।

न्यायिक संस्थाओं की शक्ति विश्वास में निहित होती है : एसीजे रूसिया

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश व सुप्रीम कोर्ट के नवागत जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मेरा रिश्ता केवल पद का नहीं, आत्मीयता का रहा है। वे मंगलवार को हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन सभागार में अधिवक्ता परिषद महाकोशल प्रांत द्वारा आयोजित अभिनंदन व विदाई समारोह में भाव अभिव्यक्त कर रहे थे। कार्यकारी एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया, प्रशासनिक न्यायाधिपति जस्टिस आनंद पाठक, जस्टिस संजीव सुधाकर कालगांवकर व जस्टिस प्रणय वर्मा का स्वागत किया गया, जबकि जस्टिस संजीव सचदेवा को भावभीनी विदाई दी गई। एसीजे जस्टिस विवेक रूसिया ने कहा कि न्यायिक संस्थाओं की वास्तविक शक्ति उनके प्रति समाज के विश्वास में निहित होती है। कार्यक्रम में अतिरिक्त महाधिवक्ता ब्रह्मदत्त सिंह, डिप्टी सालिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु, अधिवक्ता प्रदीप शर्मा व अधिवक्ता प्रदीप सिंह मंचासीन रहे। संचालन अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा व संदीप कुमार शुक्ला ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार के सचिव अधिवक्ता निखिल तिवारी ने किया।

21 को नीट परीक्षा : लगेंगे सीसीटीवी कैमरे और जैमर

जिले में बनेंगे 23 केंद्र, सवा तीन घंटे की होगी परीक्षा, 15 मिनट का मिलेगा अतिरिक्त समय

जबलपुर । नीट (अंडर ग्रेजुएट) परीक्षा-2026 की आगामी रविवार 21 जून को होने वाली है । जिले में 23 परीक्षा के न्द्र बनेंगे। नीट परीक्षा की कुल अवधि सवा तीन घंटे की होगी। इस बार सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र में बायोमैट्रिक मशीन, सीसीटीवी कैमरे एवं जैमर 19 जून को ही लगा दिए जाएंगे । 20 जून को इनका ट्रायल रन भी कर लिया जायेगा । प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सहायक उपनिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गये है। प्रश्न पत्र एनटीए द्वारा तय किये गये 2 अधिसूचित बैंकों में सुरक्षित रखे गये हैं। परीक्षा के दिन वाहनों की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी।

21 को राष्ट्रपति का भी प्रवास

21 जून को राष्ट्रपति का जबलपुर प्रवास प्रस्तावित है और इसी दिन नीट परीक्षा भी होनी है । जबलपुर शहर में 24 केंद्रों में नीट परीक्षा होनी है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी यातायात का ऐसा प्रबंधन करना होगा कि सभी परीक्षार्थी बिना किसी बाधा के अपने-अपने परीक्षा केंद्रों में सुगमता से पहुंच जायें। इसको लेकर सीधी सीएम मोहन यादव ने भी अधिकारियो ं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए है ।

छह केन्द्रों के पास सामान्यजनों का रह सकता है प्रवेश प्रतिबंधित

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एवं डुमना एयरपोर्ट के आस-पास बनाये गये छह परीक्षा केन्द्रों के प्रवेश मार्गों पर परीक्षार्थियों एवं परीक्षा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रवेश पत्र और परिचय पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा। ज्ञात हो कि 21 जून को ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें महामहिम राष्ट्रपति का शामिल होना प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित यातायात को देखते हुए सामान्य जनों का इस क्षेत्र में आवागमन प्रतिबंधित रह सकता है।

रेल मंत्री दिखाएंगे पुणे-दानापुर अमृत भारत को हरी झंडी

जबलपुर, नवभारत। रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, आज यानि 17 जून को गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हडपसर रेलवे स्टेशन से पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार यह महाराष्ट्र की आठवीं और पुणे मंडल की दूसरी अमृत भारत ट्रेन होगी, जो आम लोगों को किफायती यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी गाड़ी संख्या 11431 पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार को 3:30 बजे पुणे से प्रस्थान करेगी और सोमवार को 01:30 बजे दानापुर पहुंचेगी। वही 11432 दानापुर-पुणे अमृत भारत एक्सप्रेस प्रत्येक सोमवार को 03.30 बजे दानापुर से प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 11.05 बजे पुणे पहुंचेगी। यह गाड़ी दोनों दिशाओं में दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर और आरा जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। वही यह ट्रेन 18 एलएचबी अमृत भारत कोच के साथ चलेगी।

सौगात | जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्लोबल स्किल पार्क बनाने की तैयारी, विधायक ने मुख्यमंत्री से की मांग

संभाग और महाकौशल को मिलेगी नई उड़ान

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर संभाग और महाकौशल क्षेत्र के युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थान जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के परिसर में लगभग 15 एकड़ भूमि पर एक अत्याधुनिक ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को केन्ट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी ने पत्र सौंपकर इस महत्वाकांक्षी और व्यापक जनहितैषी परियोजना को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी देने का विनम्र आग्रह किया है।

युवाओं और विद्यार्थियों को मिलेगा बड़ा लाभ

विधायक अशोक रोहाणी ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए बताया कि विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण - क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और उद्योगों की वर्तमान जरूरतों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण मिलेगा। इस पार्क के बनने से युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, जिससे उन्हें देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में सीधे प्लेसमेंट मिल सकेगा। ग्लोबल स्किल पार्क के आने से जबलपुर में नई कंपनियों का आकर्षण बढ़ेगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और नवाचार को गति मिलेगी।

मास्टर प्लान जारी करने का भी अनुरोध

इस दौरान विधायक ने शहर विकास को गति प्रदान करने मास्टर प्लान को भी जारी कराने का अनुरोध भी किया। इसके साथ-साथ जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह जबलपुर में करने और गौर नदी के जीर्णोद्धार कार्य में आतिथ्य के रूप में शामिल होने विधायक ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को किया आदरभाव से आमंत्रित भी किया।

विवाद के बाद युवक ने की आत्महत्या

जबलपुर। सिहोरा थाना अंतर्गत तलाड़ में एक युवक ने फांसी लगा ली। आत्मघाती कदम उठाने के पहले उसका किसी से विवाद हुआ था। पुलिस मर्ग कायम कर जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को संदीप कोल 20 वर्ष निवासी ग्राम तलाड़ ने सूचना दी कि कल शाम लगभग 7-30 बजे बड़े भाई संतोष उर्फ मिथुन का शराब के नशे मे मुंडा बर्मन की दुकान के पास किसी से विवाद हो गया था उसने भाई संतोष उर्फ मिथुन कोल को घर ले जाकर छोड़ा जिसके बाद वह तलाड़ स्टेण्ड तरफ चला गया था रात लगभग 8-30 बजे जाकर देखा उसका भाई संतोष उर्फ मिथुन 32 वर्ष घर के सामने लगे भिलमा के पेड़ से फांसी पर लटका था।

खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश

खेल प्रतिभाओं की पहचान का महाअभियान

टैलेंट सर्च 2026-27

क्या आपके अंदर छिपा है एक चैम्पियन?

मध्यप्रदेश सरकार का खेल और युवा कल्याण विभाग प्रदेश के युवाओं के लिए लेकर आया है "टैलेंट सर्च 2026-27", जिसका उद्देश्य प्रदेश के कोने-कोने में छिपी खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है।

- राज्य खेल अकादमियों में प्रवेश का सुनहरा अवसर • विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा प्रतिभा परीक्षण
- निःशुल्क चयन प्रक्रिया • उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएँ
- भविष्य के ओलंपियन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की खोज

एथलेटिक्स | फेंसिंग | कुश्ती
बॉक्सिंग | ताईक्वांडो | जूडो
ट्राइथलॉन | घुड़सवारी | शूटिंग
हॉकी | क्याकिंग-कैनोइंग | स्लालम
रोइंग | बैडमिन्टन | तीरंदाजी

ऑनलाइन पंजीयन प्रारंभ: 17 जून 2026
टैलेंट सर्च प्रारंभ : 27 जून 2026
आज ही पंजीयन करें और अपने सपनों को दें उड़ान!

आयु वर्ग- 8 से 10 वर्ष (फीडर सेंटर हेतु) एवं 12 से 18 वर्ष (अकादमी हेतु) खेल अनुसार निर्धारित मापदंड विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध। राष्ट्रीय पदक विजेताओं हेतु विशेष प्रावधान।

हर जिले से निकलेगा एक नया सितारा

पंजीकरण के लिए https://talentsearch.dsywmp.gov.in पर जाएँ या दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

खेल और युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश

अधिक जानकारी के लिए विजिट करें dsywmp.gov.in

M.P. Madhyam/126445/2026

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57